



राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर



जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

Telex : 0141-2993119 Email ID : irgyurban.lsg@rajasthan.gov.in Website : www.irgyurban.rajasthan.gov.in
क्रमांक : एफ. 56 (क)0सीई / डीएलबी / SLSC / IRGY(U)/2023-24 / 19963 दिनांक : 06.09.2023

—: बैठक सूचना:—

प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग के आदेश क्रमांक प.6(03)प्र.सु./अनु-3/2021 दिनांक 19.07.2022 के अनुसार इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY-U) के प्रभावी क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग हेतु राज्य स्तर पर गठित स्वीकृति एवं समन्वय समिति की बैठक दिनांक 15.09.2023 को सांय 04:00 बजे शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में आयोजित की गई है, जिसमें निम्नांकित अधिकारियों की उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग के प्रतिनिधि, जो संयुक्त शासन सचिव स्तर से अनिम्न हो।
2. प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग के प्रतिनिधि, जो संयुक्त शासन सचिव स्तर से अनिम्न हो।
3. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग के प्रतिनिधि, जो संयुक्त शासन सचिव स्तर से अनिम्न हो।
4. प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रतिनिधि, जो संयुक्त शासन सचिव स्तर से अनिम्न हो।
5. प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग के प्रतिनिधि, जो संयुक्त शासन सचिव स्तर से अनिम्न हो।
6. निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग -सदस्य सचिव।
7. परियोजना निदेशक (IRGY), स्वायत्त शासन विभाग।

विशेष आमंत्रित:-

1. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग।
2. सचिव, भर्ती आयोग, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग।
3. सिस्टम एनालिस्ट, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग।

बैठक एजेण्डा निम्न प्रकार है:-

1. गत बैठक दिनांक 16.03.2023 की अनुपालना रिपोर्ट।
2. वित्तीय वर्ष 2023-24 की प्रगति का विवरण।
3. आयुक्त एवं अधिशाषी अधिकारियों को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में भुगतान किये जाने हेतु पूर्णरूपेण अधिकृत किये जाने बाबत।
4. सार्वजनिक निर्माण विभाग, वन विभाग एवं नगरीय विकास विभाग के द्वारा योजनान्तर्गत PIA (कार्यकारी संस्था) के रूप में कार्यों का क्रियान्वयन करवाये जाने बाबत।
5. अन्य विन्दु अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से।

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: एफ.56(क)0सीई / डीएलबी / IRGY(U) / 2023-24 / 19964-19975 दिनांक: 06/09/2023
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, जयपुर।

4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
7. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
8. परियोजना निदेशक (IRGY), स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
9. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग।
10. सचिव, भर्ती आयोग, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग।
11. सिस्टम एनालिस्ट, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग।
12. सहायक अभियंता/केयर टेकर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त बैठक के लिए जल पान की व्यवस्था सुनिश्चित करने बाबत।
13. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव